ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-4* July- 2021
Anthology : The Research

महिलाओं के उत्पीड़न एवं समाधान का समाजशास्त्रीय अध्ययन (श्री गंगानगर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Sociological Study of Oppression and Solution of Women (with special reference to sriganganagar District in Rajasthan)

Paper Submission: 05/07/2021, Date of Acceptance:12/07/2021, Date of Publication: 22/07/2021

उषा सूदन व्यास
(शोधनिदेशक)
सह–आचार्य श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सुरजराज–रूपादेवी महिला महाविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

गणेश चन्द्र अरोडा
शोध छात्र,
समाजशास्त्र विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

देश में हर पल महिलाओं के उत्पीडन की घटना घटित हो रही है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण विभिन्न कालों का नारी संघर्ष है। क्या यह आधुनिक समाज के लिए एक विचारणीय विषय नहीं, कि आधी आबादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली नारी आखिर कब दुष्कर्म, दहेज, घूंघट तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराईयों से मुक्त महसूस करेगी। एक और तो शौर्य, सशक्त, सबल मातृशक्ति हमारा गौरव है, वही दूसरी और वह बंदिशों की चार दिवारी को लांघ कर बन्धन मुक्त आदर्श समाज का हिस्सा बन, उस समाज को आत्मनिर्भर, कुरीतियों रहित गांवो का भारत बनाना चाहती है।

Every moment in the country the phenomenon of harassment of women is happening, the historical evidence of which is the struggle of women of various periods. Is this not a matter of concern for modern society?", That when a woman who makes her presence in half the population, will feel free from social evils like rape, dowry, cheating, and child marriage. Breaking up, becoming a part of the bond-free ideal society, She wants to make their society an india of self-reliant, malicious villages.

मुख्य शब्द : बुराईया , उत्पीडन, शोषण, सम्बन्ध विच्छेद, अनुलोम विवाह, गंवार, वेश्यावृत्ति, जौहर प्रथा, अस्मिता।

Evils, Harassment, Exploitation, Break up, Hypergamy, Uneducated, Prostitution, Jauhar custom, Identity.

प्रस्तावना

21 वीं सदी के दौरान महिला के लिए बन्धन शब्द की बात करना जीवन में अजीब सी घुटन पैदा करता है। इसके बावजूद उसे आधे संसार की साम्राज्ञी कहकर लालायित कर, दिवा स्वप्न दिखाकर हम जननी की जिन्दगी से खिलवाड़ करते हुए खुद की जननी को मेरी बिटिया मेरा गौरव का दिखावटी मंचन कर, समाज में मातृशक्ति के लिए समानता के अवसर प्रदान कर, स्वंय को मर्यादा युक्त उत्तम नर होने का दम, भरते हुए नजर आते है। उसी दौरान किसी न किसी देश के कोने में अपने अस्तित्व की दुहाई देती हुई, रिश्तों से निरूतर हुई नारी के प्रति, होने वाली अमानवीय यातना से, रूब रूह होने का अवसर टीवी के सुनहरी स्क्रीन पर, सशक्त कहलवाने वाली अबला के मुखारबिन्द से, या समाज का एकमात्र प्रधान पुरूष एंकर के ब्रह्ममुख से, यातनाओं, आक्रान्ताओं के अत्यन्त असहनीय, मृत्यु वरणीय कर्म की दासता का आदर्शवाचन मन को खिन्नता से भरकर नर हो निराश न करो मन को की पंक्तियों में सुधारने व सुधरने की अपेक्षा करता है। बन्धन मुक्त नारी की परिकल्पना का आगाज करने मात्र से, क्या नारी मुक्त हो पायेगी ? के उत्तर में स्मृति काल की उन पंक्तियों से मन में उत्साह पनपना सच्चाई को कसौटी पर कसने के समान है ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'' यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त प्रफलाः क्रिया' 1 इस प्रकार नारी किसी भी देश की सभ्यता के मूल्यांकन का वास्तविक मापदण्ड है। किसी भी देश की संस्कृति का यथार्थ प्रतिबिम्ब वहां की स्त्रियों की स्थिति एवं दशा से ही प्रकट होता हैं, स्त्रियों के मान, सम्मान, पहचान से ही सभ्यता और संस्कृति महान बनती है।

भारतीय संस्कृति में स्त्री को न तो पुरूष की अनुगामिनी माना गया है, और न ही उसके समान या समकक्ष, वरन वह तो पुरूष की पुरक है। हम क्यों भूल जाते है कि स्त्री एवं पुरूष दोनो ही जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। किन्तु पुरूष की पूरक होने पर भी नर की जन्मदात्री और शक्ति होने से स्त्री को पुरूष की तुलना में श्रेष्ठ माना गया है।

किन्तु यह दुख की बात है कि प्राचीनकाल में जो नारी इतनी अधिक श्रद्धा एवं आदर की पात्र थी, कालान्तर में वही नारी पुरूष वर्ग के इशारे पर नाचने वाली काठ की पुतली के समान हो गयी। उसका स्वंय का अस्तित्व घने अन्धकार में विलीन हो गया।

नारी के गौरव पूर्ण होने की मन्सा रखने वाले मनुष्य का, शास्त्रों का, दोहरा चरित्र हमे अथाह रूप से इतिहास के सुनहरे पन्नों पर नजर आता है।

वैदिक युग में नारी :– इस काल के प्राप्त चिन्हों, अवशेषों और भित्ति चित्रों से ज्ञात होता है कि इस काल में मातृ सत्तात्मक समाज था। माता ही समस्त शक्ति और सत्ता के केन्द्र रही, वंश माता के नाम से ही चलता था, '' संगठन के सिद्धान्त और व्यवहार में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था किसी प्रकार का पर्दा नहीं था सामाजिक व धार्मिक नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था''[2]

ऋग्वेद में नारियों को देवी कहा गया है। नारी अपने पति के साथ सभी कृत्यों में समान रूप से भाग लेती थी। दोनों को ही समान आर्थिक अधिकार प्राप्त थे।''[3] पति एवं पत्नी को सम्मिलित रूप से 'दम्पति' कहा जाता था जो कि पति–पत्नी के समान महत्व को व्यक्त करता है। वैदिक काल में नारी को अपना जीवन साथी चुनने की स्वतन्त्रता प्राप्त थी''[4] वह अपनी इच्छानुसार प्रेम विवाह भी कर सकती थी''[5]

इस काल में विधवा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद व नियोग प्रथा के प्रचलित होने से वर्तमान में आधुनिक युग में वैदिक युग की विचार धारा को प्रासांगिकता व यथार्थता प्रदान करता है लेकिन इसके बावजूद यहां तीन तलाक को रोकने के लिए कानून बनाए जाते है, केरल के मन्दिर में मासिक चक्र वहन करने वाली मातृशक्ति के प्रवेश को अपवित्र माना जाता है, तो कही बाल्यकाल की बालिका का चीर हरण कर दिया जाता है, जो नारी के उत्पीडन का दर्दनाक वीभत्स कारनामा उद्धृत है।

वैदिक काल में नारी सभी प्रकार के प्रतिबन्धों से मुक्त नजर आती हैं, किन्तु वर्णव्यवस्था के नियमों में जटिलता के कारण स्त्रियों के पद में क्रमिक व्यवस्था द्वारा परिवर्तन होने लगा था। अन्तवर्ण विवाह प्रचलित थे किन्तु उनसे उत्पन्न संतान निकृष्ट समझी जाती थी। अनुलोम–विवाह प्रथा के कारण स्त्री का पद ओर भी हीन हो गया था। तप और वैराग्य की बढ़ती प्रवृति के कारण स्त्रियों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ही स्त्रियों की स्थिति में हास के चिन्ह परिलक्षित होने लगे।

मैत्रायणी संहिता में नारियों को शराब और जुए के समान बताया है''[6] इन्ही विचार धारा को महाभारत में पाण्डवों व दुर्योधन (कोरवों) के बीच सूरा व जुए का आधार द्रोपदी को बनाकर देश व समाज को महिला के प्रति किए जाने वाले अमानवीय कृत्य को प्रकट किया। जो अनवरत रूप से विद्यमान है एवं बंधन और पीड़ा दायक है।

उत्तर वैदिक युग में नारी

इस युग में नारियों के गौरव पूर्ण बनने व बनाने की मानव की अभिलाषा इस रूप में नजर आती है ''इस काल में स्त्रियों मुख्य रूप से वस्त्र रंगने, कढ़ाई, सिलाई, विडालाकारी एवं डलिया इत्यादि बनाने का कार्य करती थी''[7]

''इस काल में महान दार्शनिकों की सभा में अपने विद्वतापूर्ण भाषण की क्षमता के द्वारा सबको आश्चर्य चकित कर देने वाली गार्गी एवं ब्रह्मा के उच्चतम ज्ञान का साक्षात्कार करने वाली मैत्रेयी के समान विदुषी नारियों के उदाहरण मिलते है''[8]

तभी बन्धन एवं उत्पीड़न का उदाहरण ''ऐतरेय ब्राह्मण के एक पद में पुत्रों की प्राप्ति को स्वर्ग एवं पुत्रियों को कृपणक (विपत्ति) का कारण माना गया है। इसमें पुनः कहा गया है कि पत्नी को अपने पति को कभी भी उत्तर नहीं देना चाहिए।''[9]

महाकाव्य युग में नारी

इस काल में नारी के अधिकार पहले की अपेक्षाकृत काफी कम हो गए थे। उसे पुरूष की सम्पति समझा जाने लगा, यज्ञादि कर्म में उसका उपस्थित होना अनिवार्य नहीं रह गया था।''[10] इस काल में बहुविवाह के प्रचलन के कारण नारियों की दशा शोचनीय हो गयी थी ''कश्यप ऋषि की आठ पत्नियां''[11] व दशरथ की तीन पत्नियों से यही ज्ञात होता है। 'रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास न तो नारी को कहीं अत्यधिक वन्दनीय माना है तो कहीं उसे 'ढोल गंवार शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी कहकर सम्बोधित किया है। श्री नेत्र पाण्डे इतिहास के अनेक आयामों की व्याख्या करते हुए लिखते है :– जब हम सामाजिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तब हमें इस बात का पता लग जाता है कि वहां पर किन–किन राजवशों का उत्थान–पतन हुआ, उनके उत्थान–पतन के क्या कारण थे, उनकी शासन–व्यवस्था कैसी थी और उसके क्या परिणाम हुए। जब हम सामाजिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उस समाज का सामाजिक संगठन किस प्रकार का था, उसके मूलाधार क्या थे, लोगों के आचार–विचार, व्यवहार, उनके रीति–रिवाज, उनका खान–पान, उनकी वेष–भूषा तथा उनका रहन–सहन कैसा था, ... उनमें कब और किस प्रकार विकार उत्पन्न हुए, उनका क्या परिणाम हुआ और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए''[12]

स्त्री को इतिहास के बन्द पृष्ठों में सम्मान की प्रतिष्ठा का सच हमे पता करने के लिए विभिन्न वंशो के तात्कालिक जीवन के झरोखे में झांकना होगा उसी का प्रमाण मोर्यकाल में नारी को पढ़ने बढ़ने के प्रति पुरूष वादी परिकल्पना कैसी रही है, चन्द्रगुप्त मोर्य के युग में नारी की स्थिति दशा एवं दिशा चाणक्य के अर्थशास्त्र से

छिपी नहीं है जिस में वास्तव में मातृशक्ति शिक्षा, शासन व्यवस्था और रणक्षेत्र में पुरूष समाज के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने में भी समर्थ और सक्षम थी। बावजूद इसके कुछ सामाजिक कुरीतियां भी प्रचलित थी, जिससे महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ता था जैसे बहु विवाह के अन्तर्गत ''इन युवतियों को वे उनके माता–पिता से बैलों की जोड़ी के बदले में क्रय करते थे''[13]

इस काल में बाल विवाह प्रचलित थे'' अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के समक्ष लड़की की आयु 12 वर्ष और लड़के की आयु 16 वर्ष की होनी चाहिए'' यह प्रावधान बाल विवाह की पुष्टि है''[14]

समाज में दुष्कर्म का प्रेरक कुकृत्य व्यवसाय वेश्यावृति को मौर्यकाल शासन सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर अपनी राजकीय आय का स्रोत मान कर स्त्री के जीवन में खिलवाड़ और अत्याचार का प्रतीक बना '' मौर्य कालीन समाज में वेश्यावृति का प्रचलन था, वे वेश्याएं जो योग्य और विभिन्न कार्यो में दक्ष थी उन्हें वार्षिक वेतन एक सहस्त्र पण दिया जाता था, वेश्यावृति शासन के नियमों से बंधी हुई थी, वे अपनी आय का एक भाग राज्य को कर के रूप में देती थीं'' [15]

राजपूत युग में नारी

मध्ययुगीन भारतवर्ष का इतिहास काल 600 ई. से 1200 ई. तक माना गया है। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के तीन विभाग है :1 आर्यकाल (5000ई. पू. से 600 ई. तक), 2 आर्य–बौद्धकाल (300 ई.पू. से 600 ई. तक), और हिन्दू काल (600 ई. से 1200 ई. तक)''[16] आर्यकाल और बौद्धकाल के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हिन्दू धर्म का अस्तित्व का प्रकटीकरण हुआ। इतिहास कार सर विसेन्ट स्मिथ ने कहा है कि ''उतर भारत में बलमी के मैत्रक और कन्नौज के वर्म तथा दक्षिण में बादामी के चालुक्त और कांची के पल्लवों को उसने क्षत्रिय कहा है, राजपूत नहीं '' [17] समस्त हिन्दूस्तान में कुछ नये राजवंश उदित हुए जिन्होनें स्वंय को राजपूत कहलाने में प्रसन्नता महसूस की। '' सचमुच समस्त भूमण्डल में राजपूतों के अतिरिक्त ऐसे कोई राजघराने, ढूंढने से भी नहीं मिलेगें, जिनके वंशवृक्ष की जड़े अखण्ड रूप से नवम शताब्दी तक पंहुच चुकी है''[18]

राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत महिला की स्थिति भौगोलिक परिस्थितियों के अन्तर्गत पृथक–पृथक तरह की प्रतीत होती है।

अबू जैद के अनुसार '' भारतीय राजाओ की सभाओं में राज स्त्रियां अपने और पराये लोगों के सामने स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करती (आती–जाती) थी''[19] लेकिन उत्तर भारत की राज सभाओं में पर्दाप्रथा का प्रचलन रहा। राजपूत काल में बाल विवाह का प्रचलन अपनी कमोबेश सीमा पर रहा है, जिसका कारण मुस्लिम आक्रान्ताओं से महिलाओं की सुरक्षा और अपहरण से बचाना था।

राजपूत काल में स्वजातीय विवाह को उत्तम माना गया था, किन्तु अन्तर्जातीय और अन्त धार्मिक विवाह भी होते थे, और अनुलोम विवाह के भी कई उदाहरण मिलते हैं जैसे ब्राह्मण कवि राजेश्वर ने चौहान कुमारी अवन्ति–सुन्दरी से विवाह किया था।''[20]

राजपूत काल में पुत्री और माता के रूप में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था। कन्या को शिक्षा दीक्षा एवं पालन पोषण की व्यवस्था उत्तम थी। इस काल में महिलाएं अपनी प्रतिभा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप संचालित करने में दिखा पायी राजवंशो तथा कुलीन घरानों में बहुविवाह देखने को मिलते थे।

इस प्रकार राजपुत कालीन समाज में समयानुसार महिलाओं को कुछ कुरीतियों ने प्रताड़ित किया जिसमें सती प्रथा मुख्य रही जिसका प्रमाण राजस्थान में सीकर जिले के देवराला गांव की 1987 की घटना प्रमाण है, इसी प्रकार जौहर प्रथा जिसके अन्तर्गत राजपूत काल के राजा, सेना नायक, सैनिक गेरूए वस्त्र धारण कर युद्ध में जाते थे और अमरता को प्राप्त करने पर उनकी पत्नियां अस्तित्व की रक्षा और अपनी अस्मिता की रक्षा हेतु अग्नि के कुंड में स्वंय की आहुति देकर अपने परिवार की आन–बान–शान को बनाये रखती थी।

मुगल काल में नारी

मुगल काल में हर तरफ विलासिता अपने चरम बिन्दू पर पहुँच गई थी। मुस्लिम दरबारों में सुरा, सुराही, प्याला एवं सुबाला की प्रधानता थी जिस कारण महिलाएं सुरक्षा एवं अन्य अधिकारों से वंचित हो गई। इस प्रकार इस्लामिक युग में नारी कि स्थिति बद से बदतर होती चली गई '' मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर मुगल साम्राज्य के पतन तक का इतिहास नारी ने अपने आंसुओं से ही नहीं वरण अपने रक्त से लिखा है ''[21]

इस्लाम युग में महिलाओं के उत्पीड़न की पर्दा प्रथा, सतीप्रथा, वेश्यवृत्ति और सन्तो की दरगाह पर जाने में निषैधों रूपी कुरीतियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी जैसी कुरीतियों ने नारियो के जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

मुगलकाल में नारी उत्पीड़न का एक रूपबाल विवाह प्रथा के रूप में प्रचलित रहा हैं। स्त्रियों के गौरव के रूप ''बाबर की पुत्री गुल बदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी, जिसने हुमायु नामा लिखा ''[22]

ब्रिटिश काल में नारी

नारी युगों–युगों से उत्पीड़न को झेलते हुए ब्रिटिश युग की भी प्रत्यक्षदर्शी रही और अपने प्रति होने वाले अत्याचारों के प्रति मूक प्राणी ही बनी रही, यद्धपि अंग्रेजो ने भारतीय समाज में आधारभूत सुविधाओं (रेल, सड़के, बिजली) इत्यादि का विस्तार करने का योगदान दिया किन्तु इस काल में पर्दा प्रथा, छोटी उम्र में विवाह करना, गृह सेविका बन बच्चों को जन्म देकर धार्मिक कार्यो में सहायिका बन अपने परिवार के सम्मान को बनाये रखने वाली मूल परम्पराओं को जीवित रखते हुए कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने अस्तित्व को सम्भालने वाली बनी रही। लेकिन फिर उसे अग्रिम पंक्ति में आने से रोका गया। डॉ के.एम. पणिक्कर ने लिखा है कि हिन्दू समाज में पुत्री के अधिकार को कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

इस काल में निरक्षरता ज्यादा और साक्षरता मात्र 6 प्रतिशत से भी कम ही देखने को मिली है। महिला अधिकारों के नाम पर केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही महिलाएं स्वंय के मनोरंजन का मार्ग तलाशती रही, इस काल में समाज सुधारक महानुभावों में राजाराम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का निषैध कर ब्रिटिश वायसराय विलियम बैंटिग के समक्ष विरोध का आगाज किया और सती प्रथा जैसी कुरीति के पश्चात् विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाने के कानून बनवाने का सराहनीय कार्य किया। वे नारी उत्पीड़न को कम करने में अद्वितीय योगदान देकर मानव की सोच में बदलाव लाने वालों के रूप में उतम उदाहरण बने। अन्य महानुभावों में केशवचन्द्र सेन, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविन्द रानडे, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और डॉ. बाबा साहब अम्बेड़कर आदि भी महिला शोषण को समाप्त करवाने में, नारी सम्मान के प्रतीकात्मक विभूति सिद्ध हुए।

स्वतन्त्रता से पूर्व एवं पश्चात्

समाज में नारी शोषण का शिकार होने की परम्परा सृष्टि के प्रारम्भ से अन्त तक चलती रहेगी ऐसा अहसास विभिन्न कालो के अध्ययन से प्रतीत होता है, फिर भला नारियों का योगदान देश की आजादी के लिए हो या घर परिवार के संभालने में उसे केवल पुरूष की दया पर ही रहना होगा क्योंकि उसे बचपन से वृद्धावस्था तक पुरूष के नियन्त्रण में (पिता, पति, पुत्र) जीना होगा, ऐसी मानसिक सोच के अन्तर्गत स्वंय को उत्साही, देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत विदुषी, प्ररेणादायिक, स्नेही, आकांक्षाओं की सरंक्षिका महिलाओं में रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, मैना, सरला देवी, अरूणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित इत्यादि स्वतन्त्रता सैनानी मातृशक्ति के हम ऋणी ही रहेंगे। इसके अलावा राजनीति, विज्ञान, उद्योग, खेलकूद, पुलिस न्यायावस्था, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य अनगिनत क्षेत्रों में मातृशक्ति अपने दायित्वों के प्रति पूर्णत समर्पित है। इसके बावजूद नारी के वजूद को मिटाने की अनेक कुरीतियां कन्याभ्रूण हत्या, बालविवाह, दहेज, दुष्कर्म, तलाक, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ तथा अपहरण, हत्या द्वारा उसे पराजित करने की सोच रखते है, एवं इन्ही बंधनों के बंधन से उड़ने की शौकीन के पर करतरने तथा पैरों में बंदिशों की बेड़ियो से शोषित करने का दम्भ भरते हैं, जो पुरूषों की दयनीय सोच है, जो कभी पूरी न हो सकेगी। अन्त में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि '' मुझे पता है ईश्वर, तुम्हें इस अध्याय को खोलने से पूर्व कुछ और समस्याओं को सुलझाना है, वाह। वाह आज कैसे कहें कि नारी मुक्ति (बंधन जीवन रहित) का जमाना है।

अध्ययन का उद्देश्य

बन्धनों से महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़नो को, समाज की सामान्य घटना मानने की मानसिक सोच के प्रति जागरूक कर लोगो के महिलाओं के प्रति किए जाने वाले वास्तविक व्यवहार का पता लगाना।

साहित्यावलोकन

1. डॉ. भारती शर्मा की पुस्तक का शीर्षक स्त्री–विमर्श हाशिये से पृष्ठ तक स्त्री जीवन के सदियों पुराने इतिहास के यथार्थ को समेटे हुए है अस्तित्व से अस्मिता तक स्त्री, जीवन में अनेक चुनौतियों से परिपूर्ण है, जन्म से पहले ही भ्रूण रूप में स्त्री पहचान होते ही उसे नष्ट कर देने का वैज्ञानिक उपचार सोनोग्राफी के परिणाम उसके लिए अभिशाप बन जाता है। कन्याभ्रूण को समाप्त करने के कारण अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास तथा दहेज जैसी कुप्रथाएं भी प्रचलित है। लेखिका ने अपने अध्ययन में समाज में फैली सामाजिक बुराईयो के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षण किया है।
2. सूर्य प्रकाशन मन्दिर, बीकानेर संस्करण–2014 पृष्ठ 57 ''पुस्तक तैयारी जीत की'' के लेखक डॉ. गौरव बिस्सा ने अपनी पुस्तक के एक अध्याय ''गृहिणी से सीखें लाइफ का मैनेजमेंट में जीवन प्रबन्ध की सीख हमें गृहिणियों से मिलती है। अतः गृहिणियाँ वास्तविक प्रबंधक है। लेखक द्वारा महिलायें घरेलू और बाहर के कार्यो में निपुण है, गौरव पूर्ण है व सशक्त है स्पष्ट किया है।
3. राजस्थान पत्रिका 27 फरवरी 2019 के परिवार के पृष्ठ संख्या 01 पर शीर्षक ''धर्म व जाति में नहीं बांधा, हमेशा खुद को केवल भारतीय माना, आर्टिकल में हाल ही में वेल्लोर की स्नेहा नो रिलीजन, नो कास्ट प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली महिला बनी जिसने यह सिद्ध कर दिया गया कि बहुत से लोग कहते मिलते है कि वे जाति–धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन व्यवहार में इस बात को नहीं उतारते। कहीं न इससे जुड़ा गर्व या कुंठा उनमें देखने को मिलती है। वहीं किसी जाति या समुदाय विषेश से जुड़े लाभ लेने की बात आती है तो वे इंकार भी नहीं करते।
   अगर कोई वाकई में समाज को कई अनावश्यक भागों में बांटने वाले ऐसे विभाजन को नहीं मानता तो उसे तमिलनाडू की स्नेहा पार्थीबा राजा से सीख लेने की जरूरत है। हाल ही में वे नो रिलीजन नो कास्ट का आधिकारिक प्रमाण–पत्र लेने वाली पहली महिला बनी है, जो महिला सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण एवं प्ररेणा है।
4. मातृ शक्ति को अपने अधिकारों और शक्ति को पहचाने की जरूरत नामक आलेख प्रवक्ता डोट कॉम पर 6 मार्च 2017 को महिला जगत मासिक ई–पत्रिका में श्री ब्रह्मानंद राजपूत द्वारा लिखित ने आज की आवश्यकता समाज में महिलाओं को अज्ञानता अशिक्षा, कूपंमण्डुकता, संकुचित विचारों और रूढ़िवादी भावनाओं के गर्त से निकालकर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उसे आधुनिक घटनाओं, ऐतिहासिक गरिमामयी जानकारी और जातीय क्रियाकलापों से अवगत कराने के लिए उसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक चेतना पैदा करने की, जिससे की नारी पुरूषो के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके, आलेख के अध्ययन से पुरूष की सोच रूपी खुशबू महकने एवं महकाने की प्ररेणा मिलती है।

यह शोध कार्य समाज में प्रासांगिकता व यथार्थता के धरातल पर नारी जागृति एवं समाज में लोगों की मानसिक सोच में बदलाव लाने का आधार साबित होगा क्योंकि हम 21 वीं सदी में लड़का–लड़की में किसी भी प्रकार की असमानता के साथ नहीं जीवन जी सकते हैं आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें महिला का योगदान नगण्य हो व स्त्री का शोषण करना अपराध ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान का अपमान है।

अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन के लिए प्राथमिक व द्वितीय स्रोता को काम में लिया गया है। क्योंकि अध्ययन में अध्ययन समस्या से सम्बन्धित प्राथमिक व द्वितीयक तथ्य से समाज में नारी के प्रति उत्पीड़न की जागरूकता का विश्लेषण किया जा सकता है। प्राथमिक तथ्य के संकलन के लिए अनुसूची साक्षात्कार व सतत अवलोकन पद्धतियों को काम लिया गया है। और द्वितीयक तथ्य संकलन की प्रविधियों में पुस्तकें पत्र पत्रिकाऐं समाचार पत्र विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिवेदन इत्यादि की सहायता ली गई है।

सारणी

क्र.सं.	जिला	दहेज मृत्यु सेक्शन 304 बी. आई.पी.सी.	आत्महत्या के उकसाना सेक्शन 305/306 आई. पी.एस.	एसिड अटैक सेक्शन 326 ए आई.पी.सी	पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता सेक्शन 498 ए आई.पी.सी.
1	श्रीगंगानगर	13	6	1	914

स्रोत :– District wise crimes against women (NCRB) 2019

सारणी

क्र.सं.	जिला	महिला व्यपहरण/अपहरण कर शादी के लिए मजबूर करना कुल केस			
		महिला 18 वर्ष से अधिक	18 वर्ष से नीचे	आई.पी.सी. सेक्शन 336	अदर सेक्शन 363 ए, 365, 367, 368, 369 आई.पी.एस.
1	श्रीगंगानगर	15	19	47	86

स्रोत :– District wise crimes against women (NCRB) 2019

1. सारणी स्रोत जिला वाईज क्राईमस् ऐजेन्ट वुमेन 2019 (एन.सी.आर.बी.)

क्र.सं.	जिला	बलात्कार (सेक्शन 376 आई.पी.एस.)			बलात्कार (सेक्शन 376 आई.पी.एस.)		
		महिला 18 वर्ष व से अधिक	महिला 18 वर्ष से नीचे	Total	महिला 18 वर्ष व से अधिक	महिला 18 वर्ष से नीचे	Total
1	श्रीगंगानगर	192	56	248	38	13	51
इरादे से महिला पर हमला							
2	श्रीगंगानगर	204	47	251	02	01	03
दहेज निषैध अधिनियम 1961							
3	श्रीगंगानगर	01	–	01	–	–	.

स्रोत :– District wise crimes against women (NCRB) 2019

सारणी :– विश्व में महिला सांसदो का औसत 24 प्रतिशत भारत में 12.1 प्रतिशत

एशिया की स्थिति	सीट	महिला सांसद	हिस्सेदारी
नेपाल	275	90	32.7 प्रतिशत
चीन	2975	742	24.9 प्रतिशत
बांग्लादेश	350	72	20.6 प्रतिशत
पाकिस्तान	341	69	20.2 प्रतिशत
भूटान	47	07	14.9 प्रतिशत
भारत	**543**	**66**	**12.1 प्रतिशत**
म्यांमार	433	49	11.3 प्रतिशत
श्रीलंका	225	12	5.3 प्रतिशत

स्रोत दैनिक भास्कर दिनांक 13.04.2019 पृष्ठ संख्या–9 पर प्रकाशित जिनेवा स्थित इंटर–पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट

इस तालिका से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी 12.1 प्रतिशत होना उनके राजनीतिक रूचि का अभाव नहीं है बल्कि 33 प्रतिशत हिस्सेदारी का संविधान लिखित नियम को मानने में देश के राजनीति दलों की दुविधा का ही परिणाम है। जिस कारण 2014 की तुलना में भारत 193 देशो में 101 वें स्थान से फिसलकर 150 वें स्थान पर पहुंचा प्रकाशित समाचार से ज्ञात है।

सारणी :– पी.सी.टी.सी. (प्रिग्नेंसी, चाईल्ड ट्रेकिंग एंड हैल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम की रिपोर्ट)

क्र.सं.	जिला	2019	2020
1	बांसवाड़ा	998	981
2	भरतपुर	949	941
3	भीलवाड़ा	940	929
4	चितौड़गढ़	963	922
5	चूरू	962	953
6	दौसा	933	926
7	धौलपुर	945	939
8	**गंगानगर**	**937**	**931**
9	जालौर	958	953
10	जोधपुर	963	959
11	करौली	938	934
12	नागौर	969	963
13	पाली	948	937
14	राजसमंद	953	936
15	सवाई माधोपुर	928	901
16	सिरोही	934	926
17	टोंक	891	925

स्रोत : दैनिक भास्कर दिनांक 03.03.2021 में प्रकाशित समाचार ''कोरव में कत्ल होते रहे और चिकित्सा विभाग के अफसर सोते रहे, 17 जिलों में गड़बड़ाया लिंगानुपात''

राजकुमार जैन (रिपोर्टर) द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से ज्ञात होता है कि श्रीगंगानगर जिले का लिंगानुपात घटकर 937 से 931 होना स्त्रियों के प्रति मानवीय सोच में बदलाव की आवश्यकता है। एक ओर तो देश में बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं की योजना द्वारा समाज में नारी की आन–बान–शान सम्मान को तवजो दी जा रही है दूसरी और लिंगानुपात का कम होना एक सोचनीय विचारनीय है ?

सारणी :– लिंगानुपात राज्य और जिले का लिंगानुपात

Census Year	राज्य			जिला		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
1931	907	908	903	797	810	636
1941	906	907	897	814	825	713
1951	921	919	928	828	845	752
1961	908	913	882	843	859	769
1971	911	919	875	863	879	803
1981	919	930	877	859	875	808
1991	910	919	879	865	871	847
2001	921	930	890	873	883	845
2011	928	933	914	887	891	878

1000 पुरूषों पर स्त्रियों का लिंगानुपात

स्रोत :– District wise crimes against women (NCRB) 2019

सारणी :– उपजिला द्वारा लिंगानुपात

क्र.सं.	उपजिला का नाम	लिंगानुपात		
		कुल	ग्रामीण	शहरी
1	करनपुर	903	906	891
2	गंगानगर	875	893	860
3	सादुलशहर	869	860	900
4	पदमपुर	904	905	897
5	रायसिंहनगर	908	914	878
6	अनुपगढ़	900	902	889
7	घड़साना	892	893	889
8	विजयनगर	894	891	908
9	सूरतगढ़	874	866	900
10	जिला श्रीगंगानगर	887	891	878

स्रोत :– District wise crimes against women (NCRB) 2019

निष्कर्ष

इस प्रकार शोध अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर जहां एक और नारी शक्ति समाज में प्रचलित दुष्कर्म, बाल विवाह, छेड़छाड़, अपहरण, दहेज प्रथा एवं ग्रामीण समाज में सर्वाधिक प्रचलित पर्दा प्रथा के प्रति जागरूक होगी वही इन कुरीतियों का विरोध कर सुरक्षा के पहरेदार न्यायालय एवं पुलिस को सहायता प्राप्त करने में भी स्वंय को समर्थ कर अपने निडर सहासी, सबल, सक्षम नारी का व्यक्तित्व प्राप्त करने में सफल होगी और आज की 21 वीं सदी का सम्माननीय गौरव पद प्राप्त करेगी।

सुझाव

स्त्रियों के गौरवशाली बनने में निम्नांकित बंधन मुक्त होना आवश्यक है।

1. उच्चशिक्षा प्राप्त करने की छूट,
2. आधुनिक इलेक्ट्रोनिक डिवाईस–मोबाईल, लेपटॉप टी. वी. देखने व इस्तेमाल की छूट,
3. ग्रामीण महिलाओं को खेती बाडी, पशुपालन एवं धुएं युक्त रसोई से मुक्ति मिले,
4. ग्रामीण महिलाओं को नाचने गाने एवं सार्वजनिक समारोह उत्सवों में जाने की छूट मिलें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *मनु. 3/56*
2. *प्रसाद, बेनीः ''हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृष्ठ–50 प्रयाग प्रकाशन 1931*
3. *अल्टेकर, ए.एस : पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन पृष्ठ 410*
4. *ऋग्वेद : 1/115/2*
5. *उपाध्याय, भगवत शरण : वीमेन इन ऋग्वेद पृष्ठ–92*
6. *प्रसाद, बेनी : हिन्दूस्तान की पुरानी सभ्यता, पृष्ठ–166, प्रयाग प्रकाशन 1931*
7. *मुखर्जी : राधाकुमुद : हिन्दू सिविलाईजेशन, पृष्ठ–97*
8. *वही पृष्ठ–111 एवं अल्टेकर ए.एस. पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन पृष्ठ–14*
9. *अल्टेकर, ए.एस. : पोजीशन ऑफ वूमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन पृष्ठ–411*
10. *कीथ, ए.पी. : दि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, प्रथम भाग, पृष्ठ–247*
11. *पाराशर, चिरंजीलाल : नारी और समाज, पृ.–40*
12. *पाण्डे श्री नेत्र : राजपूतों का प्रारम्भिक इतिहास, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, 1986 पृष्ठ–1*
13. *सिंह वी.एन. जनमेजय नारी रावत पब्लिकेशन जयपुर 2012 पृष्ठ–4*
14. *वही पृष्ठ संख्या 5*
15. *वही पृष्ठ – 5*
16. *वही पृष्ठ – 7*
17. *गोयलीय, अयोध्या प्रसाद मुगल बादशाहों की कहानी उनकी जुबानी मेधा बुक्स नई दिल्ली 2007, पृष्ठ–72*
18. *वर्मा स. हरिश्चंद्र मध्य कालीन भारत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन, निदेषालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 1985, पृष्ठ 331*
19. *सिंह वी.एन. जनमेजय नारी, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2012 पृष्ठ – 9*
20. *वही पृष्ठ 9*
21. *उपध्याय अवगत शरण : भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण पृष्ठ–264*
22. *राजे डॉ सुमन हिन्दी साहित्य का आधा इतिहास पृष्ठ–134*